

राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सांगवाडा  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत /कैम्प कोर्ट )कैम्प सांगवाडा

-:: आदेश ::-

प्रार्थी के " खाता दुरुस्ती " प्रार्थना पत्र एवं बटवारी व भू.अ.नि. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार /नायब तहसीलदार की अनुरा के आधार पर राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील व जिला की जमाबन्दी संवत् में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र० सं०	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	सिवावाडा	1148	श्री पाल्नी दुर्गा श्रीवा	श्री पाल्नी दुर्गा श्रीवा

हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
एवं पदेन सहायक कलक्टर

कमांक / राजस्व / 2016 /

प्रतिलिपि :-

- 1- तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद शीघ्र किया जाकर पाल्नी रिपोर्ट भिजवाये।
- 2- प्रार्थी श्री को सूचनार्थ ।
- 3- रक्षित पत्रावली ।

हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी  
एवं पदेन सहायक कलक्टर